(29)

दिनांक 18.03.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन योजना की बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2021 को जल जीवन मिशन योजना की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :– 33

1. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/सदस्य सचिव,
3. सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई, गौतमबुद्धनगर।
4. मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि।

जल जीवन 741 दि-25.3.2021

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्मो/एजेन्सी को सर्वे करने के लिए ग्रामो पंचायतो की सूची उपलब्ध करा दी गयी है।

1. **जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सामान्य ग्राम में कराये जाने वाले कार्य** :– मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु 76 ग्राम पंचायतो की सूची प्राप्त हो गयी है, जिनमें सभी 76 ग्राम पंचायतो में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे के समय पाया गया कि ग्राम पंचायत जगनपुर दोआब नाम का कोई ग्राम नही है यह ग्राम जगनपुर अफजलपुर के नाम से है जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया है। सभी 76 ग्राम पंचायतो में से 24 ग्राम पंचायतो में भूमि उपलब्ध है। शेष ग्राम पंचायतो में भूमि उपलब्ध नही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें एवं जिन ग्राम पंचायतो में सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है उनकी डी0पी0आर0 उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0/अधि0अभि0 जल निगम)

2. **जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पुनगर्ठन कार्य** :– जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत 12 ग्राम पंचायतो में पुनगर्ठन का कार्य कराया जाना है। मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सभी 12 ग्राम पंचायतो में अभी सर्वे का कार्य पूर्ण नही हो पाया है। मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सभी 12 ग्राम पंचायतो में तत्काल सर्वे का कार्य पूर्ण कर एक सप्ताह के अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कर अधोहस्ताक्षरी एवं शासन को उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0)

3. **गुणवत्ता प्रभावित ग्राम में कराये जाने वाले कार्य**:– गुणवत्ता प्रभावित 3 ग्राम पंचायतो में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जाना है। मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के

All AEs
23/3/2021

प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सभी 3 ग्राम पंचायतो में [illegible]य पूर्ण कर लिया गया है। इन ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

4. **सांसद आदर्श ग्राम** :– योजनान्तर्गत 1 ग्राम सांसद आदर्श ग्राम है जिसमे कार्य कराया जाना है। मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत में भूमि भी उपलब्ध है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के पोर्टल पर रिपोर्ट पोर्टल पर फीड नही की गयी है। निर्देश दिये गये कि प्रगति रिपोर्ट जल जीवन मिशन योजना के पोर्टल पर फीड करते हुए डी0पी0आर0 अधोहस्ताक्षरी एवं शासन को उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0)

5. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम** :– जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत 5 ग्राम पंचायतो में कार्य कराया जाना है। मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सभी 5 ग्राम पंचायतो में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भूमि उपलब्ध नही है।

6. **नई पाइप पेयजल योजनायें:–**

   1. **बम्बावड पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 600 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 350 संयोजन किये जा चुके और 300 संयोजनो की एन्ट्री की जा चुकी है, 50 संयोजन एन्ट्री हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

      (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

   2. **लुहारली पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 740 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 690 संयोजन किये जा चुके और 681 संयोजनो की एन्ट्री की जा चुकी है, 9 संयोजन एन्ट्री हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

      (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

   3. **कचैडा वारसाबाद पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 886 स्वीकृत संयोजन जिसके सापेक्ष 474 संयोजन किये जा चुके और 457 संयोजनो की एन्ट्री की जा चुकी है, 17 संयोजन एन्ट्री हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

      (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

   4. **बिशनोली पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 784 स्वीकृत संयोजन है पाइप लाइन बिछाने पर ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों के विवाद

के कारण एन्ट्री नही हो पा रही है। निर्देश दिये गये कि जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण कराएं।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/जि0वि0अधि0/जि0पं0रा0अधि0)

7. रेट्रोफिटिंग की योजनायें :–

1. **कलौदा पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 1058 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 600 संयोजन किये जा चुके और 559 संयोजनो की एन्ट्री की जा चुकी है, 41 संयोजन एन्ट्री हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

   (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

2. **बम्बावड पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 440 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 150 संयोजन किये जा चुके और 101 संयोजनो की एन्ट्री की जा चुकी है, 49 संयोजन एन्ट्री हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

   (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

3. **नीमका पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 200 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 200 संयोजन किये जा चुके और एन्ट्री भी की जा चुकी है।

4. **कुरैब पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 944 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 300 संयोजन किये जा चुके है विकास प्राधिकरण क्षेत्र में होने के कारण एन्ट्री नही हो पा रही है। निर्देश दिये गये कि निदेशालय स्तर से समन्वय स्थापित कर अवशेष संयोजनो की एन्ट्री पूर्ण करा कर अवगत कराएं।

   (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

5. **मेहदीपुर बांगर पाइप पेयजल योजना** :– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 550 स्वीकृत संयोजन है जिसके सापेक्ष 100 संयोजन किये जा चुके है विकास प्राधिकरण क्षेत्र में होने के कारण एन्ट्री नही हो पा रही है।

   (कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

इसके अतिरिक्त मै0 एल0सी0,इन्फ्रा प्रोजक्ट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत 97 ग्राम पंचायतो के सर्वे/डी0पी0आर0 तथा अन्य कार्य में लगे कार्मिको की सूची जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराएं।

(26)

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देश दिये गये कि जिन ग्राम पंचायतो में भूमि उपलब्ध नही है उन ग्राम पंचायतो में योजना अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर जमीन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय **मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर**

पत्रांक 1626/जल जीवन मिशन–बैठक/2021 दिनांक 22/3/21

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जल निगम
3. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप जिलाधिकारी, सदर,दादरी एवं जेवर को इस निर्देश के साथ कि सलंग्न सूची के अनुसार पाइप पेयजल योजना हेतु कार्यदायी विभाग को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

22/03/2021.
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर